रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3587] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 04, 2019/कार्तिक 13, 1941
No. 3587] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 04, 2019/ KARTIKA 13, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 नवम्बर, 2019

का.आ. 3981(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 910 (अ), तारीख 21 अप्रैल, 2010 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 7 के कटनी-जबलपुर-लखनादौन सेक्शन के 377.600 कि.मी. से 544.000 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया रारा- 30) के रीवा-कटनी-जबलपुर सेक्शन के डिजाइन 399.657 कि.मी. से 467.916 कि.मी (विद्यमान 397.000 कि.मी से 465.500 कि.मी.) के 4 लेन के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर से सड़क खंड की निवल लंबाई 41.528 कि.मी. और 4.14 कि.मी की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) (समकक्ष लंबाई 0.414 कि.मी.) के लिए 0.72 कि.मी. की समकक्ष लंबाई (जिनकी लंबाई 0.072 कि.मी. है) की 2 लेन की संरचना के उपयोग हेतु आधार दर के 60% और बाइपासों जिनकी लम्बाई 26.245 कि.मी और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के उपयोग हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उद्गृहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात:-

सारणी- 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में मोहतारा गांव के निकट, रारा-7(नया रारा- 30) के डिज़ाइन चेनेज 426.967 कि.मी.(विद्यमान 423.200कि.मी.) पर	41.528 (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपासों और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपासों की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू होकर	पर मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में मोहतारा गांव के निकट, रारा-7(नया रारा- 30) के डिज़ाइन चेनेज 426.967 कि.मी. (विद्यमान 423.200 कि.मी.) पर	रारा-7 का छपरा बाइपास(नया रारा-30)	डिज़ाइन 400.544 कि.मी.(विद्यमान 397.886 कि.मी.)	डिज़ाइन 402.064 कि.मी.(विद्यमान 399.275 कि.मी.)	1.520	18.046	
	रारा-7 का धनगवा बाइपास(नया रारा-30)	डिज़ाइन 406.942 कि.मी.(विद्यमान 404.160 कि.मी.)	डिज़ाइन 408.686 कि.मी.(विद्यमान 405.870 कि.मी.)	1.744	14.186	
	रारा-7 का सिहोरा बाइपास(नया रारा-30)	डिज़ाइन 417.335 कि.मी.(विद्यमान 414.533 कि.मी.)	डिज़ाइन 422.509 कि.मी.(विद्यमान 418.733 कि.मी.)	5.174	61.995	

	रारा-7 का जुज़हरी व गोसलपुर बाइपास(नया रारा-30)	डिज़ाइन 429.921 कि.मी.(विद्यमान 397.886 कि.मी.)	डिज़ाइन 433.238 कि.मी.(विद्यमान 429.415 कि.मी.)	3.317	28.089	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	रारा-7 का गांधीग्राम बाइपास(नया रारा-30)	डिज़ाइन 437.025 कि.मी.(विद्यमान 433.178 कि.मी.)	डिज़ाइन 439.791 कि.मी.(विद्यमान 435.980 कि.मी.)	2.766	23.925	
	रारा-7 का पनागरग्राम बाइपास(नया रारा-30)	डिज़ाइन 442.080 कि.मी.(विद्यमान 438.222 कि.मी.)	डिज़ाइन 453.966 कि.मी.(विद्यमान 451.664 कि.मी.).	11.724 (0.162 मी. की संरचना को छोड़कर)	81.876	
			कुल	26.245 कि.मी.	228.117 करोड़	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी – 4

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में मोहतारा गांव के निकट, रारा-7(नया रारा- 30) के डिज़ाइन चेनेज 426.967 कि.मी. (विद्यमान 423.200 कि.मी.) पर	0.414	4.14	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	0.072	0.720	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* 4-लेन की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	डिज़ाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	425.966	426.146	बड़ा पुल	0.18 कि.मी.
2	459.144	459.216	फ़्लाइ ओवर	0.0720 कि.मी.
3	462.044	462.116	फ़्लाइ ओवर	0.0720 कि.मी.
4	452.599	452.689	परियत नदी के पार बड़ा पुल	0.090 कि.मी.
		कुल		0.414 कि.मी.

* 2-लेन की संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	डिज़ाइन चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (मीटर में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	442.424	442.496	पानागढ़ बाइपास पर 2 लेन फ़्लाइ ओवर	0.072 कि.मी.
कुल				0.072 कि.मी.

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-6

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 903.500 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के

जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भारराराप्रा/13013/547/सीओ/18-19/जीसी/रीवा-कटनी-जबलपुर सेक्शन, 397.000 कि.मी. से 465.500 कि.मी. (पैकेज-IV)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 04th November, 2019

S.O. 3981(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.910 (E) dated 21st April'2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Katni-Jabalpur-Lakhnadon from kilometer 377.600 to kilometer 544.000 of National Highway No. 7, in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 41.528 km for the use of four lane and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 4.14 km (having length of 0.414 km), at sixty percent of the base rate for use of two lane structure of equivalent length 0.72 Km (having length of 0.072 Km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 26.245 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Rewa-Katni-Jabalpur Section from design kilometer 399.657 to kilometer 467.916 (existing km 397.000 to km 465.500) of National Highway 7 (New NH-30) in the state of Madhya Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

TABLE-2

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 426.967 design chainage (existing km 423.200 km) of NH-7 (New NH-30) near village Mohtara, in Jabalpur district of Madhya Pradesh	41.528 (excluding length of structure > 60 m and length of bypasses costing > Rs. 10 Cr.)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

TABLE-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 426.967 design chainage (existing km 423.200 km) of NH-7 (New NH-30) near village Mohtarain Jabalpur district of Madhya Pradesh	Chhapra Bypass of NH – 7 (New NH-30)	Design km 400.544 (existing km 397.886)	Design km 402.064 (existing km 399.275)	1.520	18.046	150% of the base rates mentioned in Table-1 above.
	Dhangawa Bypass of NH – 7 (New NH-30)	Design km 406.942 (existing km 404.160)	Design km 408.686 (existing km 405.870)	1.744	14.186	
	Sihora Bypass of NH – 7 (New NH-30)	Design km 417.335 (existing km 414.533)	Design km 422.509 (existing km 418.733)	5.174	61.995	
	Jujhari & Gosalpur Bypass of NH - 7(New NH-30)	Design km 429.921 (existing km 426.138)	Design km 433.238 (existing km 429.415)	3.317	28.089	
	Gandhigram Bypass of NH - 7(New NH-30)	Design km 437.025 (existing km 433.178)	Design km 439.791 (existing km 435.980)	2.766	23.925	
	Panagargram Bypass of NH - 7(New NH-30)	Design km 442.080 (existing km 438.222)	Design km 453.966 (existing km 451.664)	11.724 (excluding structure 0.162 m)	81.876	
Total				26.245 Km	228.117 Cr.	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE-4

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At km 426.967 design chainage (existing km 423.200 km) of NH-7 (New NH-30) near village Mohtara, in Jabalpur district of Madhya Pradesh	0.414	4.14	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.072	0.720	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of 4-lane structures are as under: -

	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	425.966	426.146	Major Bridge	0.18 km
2	459.144	459.216	Fly Over	0.0720 km
3	462.044	462.116	Fly Over	0.0720 km
4	452.599	452.689	Major Bridge across Pariyat River	0.090 km
Total				**0.414 km**

*The details of 2-lane structures is as under: -

	Design Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	442.424	442.496	2-Lane Fly Over on Panagar Bypass	0.072 km
Total				**0.072 km**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

TABLE-6

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 903.500 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules

[F. No. NHAI/13013/547/CO/18-19/GC Rewa-Katni-Jabalpur Section Km. 397.000 to Km. 465.500 (PKG-IV)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.05 22:29:20 +05'30'